संख्या–1289 / 26–2–2010–100(21) / 2008

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2010**

विषयः **वृद्धावस्था पेंशन योजना के सुचारू संचालन के संदर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विगत वर्ष अभियान चलाकर वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत मृत एवं अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गयी थी तथा उनके नाम योजना से हटाने के निर्देश भी दिये गये थे, जिसे पहले सुनिश्चित कर लिया जाय। योजना के सुचारू संचालन के सम्बन्ध में निम्नलिखित अतिरिक्त निर्देश दिये जाते हैं:–

(1) नये लाभार्थियों का चयन, योजना की गाइडलाइन, जो शासनादेश संख्या–1474 / 26–2– 2008, दिनांक 11जुलाई, 2008 से निर्गत हुई है, के आधार पर ही किया जायेगा। जिसमें मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची 2002 में से है अथवा नहीं। पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि नये लाभार्थियों का चयन तभी किया जाना है, जब वे 60 वर्ष से ऊपर हों तथा उनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में अंकित हो। किसी भी दशा में इस मानक का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में लाभार्थियों का बी0पी0एल0 सूची क्रमांक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका मिलान जिला समाज कल्याण कार्यालय में करने के उपरान्त ही उसकी माँग निदेशालय को भेजी जायेगी।

(2) इस प्रकार की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि सूची में लाभार्थी का खाता जानबूझकर गलत फीड करा दिया जाता है, जिससे बाद में लाभार्थी को कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ते हैं एवं उसे अनावश्यक परेशान होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि लाभार्थियों के जो खाते भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर खुले हैं, उन सब खातों को लाभार्थी की सुविधानुसार इन्हीं बैंकों में स्थानांतरित करवा दिया जाय। अभी भी कुछ जनपदों में सहकारी समितियों, मिनी बैंकों तथा निजी बैंकों आदि में खाते संचालित हैं, जिन्हें परिवर्तित कराया जाना है। इस सम्बन्ध में एक माह के अन्दर अभियान चलाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी खाते मिनी

बैंकों, सहकारी समितियों तथा निजी बैंकों से समाप्त कराकर अनुमन्य बैंकों की शाखाओं में खुलवा दिये गये हैं। इसका उत्तरदायित्व ग्राम्य विकास अधिकारी (स0क0), सहायक विकास अधिकारी (स0क0) का होगा। इसके अतिरिक्त सूची में खातों का मिलान अभियान चलाकर भौतिक रूप से कर लिया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी लाभार्थी का खाता सूची में गलत अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी विकास खण्ड में एक भी लाभार्थी का खाता गलत होने के कारण उसमें पेंशन हस्तांतरित नहीं हो पाती है, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (स0क0), ग्राम्य विकास अधिकारी (स0क0) के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी इस सम्बन्ध में सभी सहायक विकास अधिकारियों से विकास खण्डों के बारे में सम्यक प्रमाण पत्र ले लेंगे कि उनके विकास खण्डों में लाभार्थियों का खाता सूची में सही अंकित है। इस सम्बन्ध में पूर्व में यह निर्देश दिये गये थे कि कतिपय जनपदों में जिला सहकारी बैंक तथा उसकी शाखाओं में पेंशन के पुराने खाते चल रहे हैं, उन्हें फिलहाल चलने दिया जा सकता है। इसे इस वर्ष भी लागू रखा जा सकता है, यदि प्रयास करने के बावजूद यह खाते अनुमन्य बैंकों में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं।

(3) पूर्व में भी यह निर्देश निर्गत हुए हैं कि जो भी प्रार्थना पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त किये जायं, वे मात्र विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय से ही बंद लिफाफे में प्राप्त किये जायं एवं अन्य किसी स्रोत से प्राप्त न किये जायं। इसका जिला समाज कल्याण कार्यालय स्तर पर रजिस्टर रखा जाय तथा इसका अंकन किया जाय, जिसमें विकास खण्ड कार्यालय के पत्र तथा दिनांक आदि का उल्लेख हो।

(4) प्रत्येक दशा में ओ0ए0पी0 रजिस्टर संख्या–8 प्रत्येक जिला समाज कल्याण कार्यालय में सुचारू रूप से रखा जाना है एवं जनपद के समस्त वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के बारे में अंकन इस रजिस्टर में उपलब्ध होना चाहिए। इस रजिस्टर को प्रत्येक समय अद्यावधिक रखने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सहायक का तो है ही जिला समाज कल्याण अधिकारी इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें। यदि सम्बन्धित सहायक द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की हीलाहवाली की जाती है तथा प्रविष्टियाँ नहीं की जाती हैं, तो उनके विरूद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाय। मण्डलों के उप निदेशक, स0क0 द्वारा आगामी दो माह में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक जनपद में ओ0ए0पी0 रजिस्टर संख्या–8 पूर्ण एवं अद्यावधिक हैं तथा सभी प्रविष्टियाँ नियमानुसार हुई हैं। यह एक स्थाई अभिलेख है एवं इसे प्रत्येक दशा में पूर्ण अद्यावधिक एवं सुरक्षित रखा जाना है एवं तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिन जनपदों में यदि विगत प्रविष्टियाँ अवशेष हैं, तो इन्हें अभियान चलाकर एक माह में पूर्ण कर लिया जाय।

2— उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी तत्काल जनपद के समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0) एवं ग्राम्य विकास अधिकारी (स0क0) की बैठक अपने स्तर पर बुलाकर इन निर्देशों से अवगत करा दें तथा यह भी अवगत करा दें कि इन निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा लापरवाही एवं गलती पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

3— कृपया उपरोक्त आदेशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से इन आदेशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या दो माह में शासन को प्रेषित की जाय।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।

संख्या-- 1289 / 26—2—2010— तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2— समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव